

भारत सरकार
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त,.....

अफीम कृषको के लिये महत्वपूर्ण सूचना

समस्त अफीम कृषकों एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा वर्तमान फसल वर्ष 2024-25 में विभागीय अधिकारियों द्वारा चयनित सी.पी.एस. फसल के निरीक्षण का कार्य किया जा रहा है जो दिनांक- 31.03. 2025 तक जारी रहेगा। वर्तमान फसल वर्ष 2024-25 के लिए सी.पी.एस. हारवेस्टिंग में डंठल की लम्बाई को घटाकर 06 इंच कर दिया गया है। कृषक सी.पी.एस. पद्धति के काश्त की प्रक्रिया के अनुसार डोडा मय डंठल (06 इंच डंठल की लम्बाई) को तोड़कर उसका वजन निर्धारित प्रारूप में इन्द्राज कर उसकी रिपोर्ट अपने गाँव के मुखिया के माध्यम से अनिवार्य रूप से सम्बन्धित जिला अफीम अधिकारी को प्रेषित करें।

उप नारकोटिक्स आयुक्त
कोटा/नीमच/लखनऊ